WWJMRD 2017; 3(9): 354-356
www.wwjmrd.com
International Journal
Peer Reviewed Journal
Refereed Journal
Indexed Journal
UGC Approved Journal
Impact Factor MJIF: 4.25
e-ISSN: 2454-6615

विवेक पाठक
पीएच.डी गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, भारत

Correspondence:
विवेक पाठक
पीएच.डी गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र भारत

महिला सशक्तीकरण के व्यावहारिक उपाय

विवेक पाठक

सारांश

महिला सशक्तीकरण के विभिन्न पहलुओं को जानने से पहले यह जानना जरूरी हैं कि लिंग असमानता किनकिन रूपों में - समाज में प्रकट हों रहा हैं ।गौरतलब है कि नारी की क्षमता उसकी उसकी बौद्धिकता एवं समाज में उनके स्थान के संबंध में भारतीय परंपरा अत्यधिक समृद्धशाली रही है। स्त्रियाँ हमारी संस्कृति का आधार ही नहीं वरन लोकजीवन धर्म और मानवता के विकास की कुंजी भी हैं। *तैत्तरीय उपनिषद* की शिक्षावली में *'मातृ देवों भव,पितृ देवों भव, आचार्य देवों भव'* कहा गया है । इसमें माता को सबसे पहला स्थान दिया गया है। लेकिन आज स्त्रियों की स्थिति पर विचार करते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा कि लिंग सामाजिकसांस्कृतिक शब्द है-,सामाजिक परिभाषा से संबंधित करते हुये समाज में *'पुरुषों'* और *'महिलाओं'* के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है,जबकि *'सेक्स'* शब्द *'आदमी'* और *'औरत'* को परिभाषित करता है जो एक जैविक शारीरिक घटना है । अपने सामाजिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में,लिंग पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य के संबंध से हैं जहां पुरुष को महिलाओं से श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह 'लिंग' को मानव निर्मित सिद्धांत समझना चाहिये, जबकि 'सेक्स' मानव कि प्राकृतिक या जैविक विशेषता है । इस तरह से हम 'लिंग' असमानत को इस तरह से परिभाषित कर सकते है,लैगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव समाज में परम्परागत रूप " सेमहिलाओं को कमजोर जातिवर्ग के रूप में माना जाता है। वह पुरुषों की एक अधीनस्थ स्थिति में होती है।-

मुख्य शब्द – महिला सशक्तिकरण, लिंग असमानता, महिला शिक्षा, लिंगानुपात

शोध पत्र का प्रारंभिक परिचय

लिंग असमानता विभिन्न तरीकों से प्रकट होता है जैसे कि *कन्या भ्रूर्ण हत्या,कन्या बाल हत्या,बच्चों का लिंगानुपात,लिंगानुपात,महिला शिक्षा,मातृ मृत्युदर* आदि । एक शोध के आंकड़ें प्रदर्शित करते हैं कि भारत में लगभग 1,00,000 लाख अवैध गर्भपात हर साल कराये जाते है। 2011 की जनगणना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि)0-6 साल कि आयु वर्ग वाले बच्चों का लिंग (अनुपात-919 हैं जो पिछली जनगणना से अनुपात -कम था। जहां तक पूरे लिंग 8 अंक आगे है। यह एक अच्छा संकेत हों 10 की तुलना में 2001 था जो 943 की जनगणना के अनुसार 2011 की बात है तो सकता है लेकिन अभी भी पूरी तरह से महिलाओं के पक्ष में नहीं है। इसी तरह 81 के अनुसार पुरुषों की 2011. 14% साक्षरता की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर 65. 46% हैं। ये सभी संकेत लिंग समानता और महिलाओं के मूलभूत अधिकारों की ओर से भारत की निराशजनक स्थिति को प्रकट करते है। हर साल भारत सरकार महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिये अनेक योजनाओं को लागू करती है ताकि इनका लाभ महिलाओं को मिल सके लेकिन जमीनी हकीकत यह हैं की इतनी योजनाओं के लागू होने के बाद भी महिलाओं की स्थिति में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है । लिंग असमानता को दूर करने के लिये भारतीय सविधान नें अनेक सकारात्मक कदम उठाये है। सवैधानिक उपाय के अलावा समाज में बराबरी का दर्ज़ा देने के लिये संसद द्वारा कई क़ानून पारित किये गये। इन सभी प्रावधानों के बाद भी देश क्या विश्व के अधिकांश देशों मे महिलाओं को दूतीय श्रेणी का समझा जाता है। इसलिए हमने यह समझना होगा ऐसा क्या कारण था की जहां सभी क्षेत्रों पर काफ़ी समय पहले महिलाओं का अधिकार था वहाँ पुरुषों का अधिकार कैसे हों गया है।

शोध पेपर का उद्देश्य .

- महिलाओं की स्थिति का ऐतिहासिक अध्ययन
- विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का ऐतिहासिक अध्ययन
- प्राचीन संस्कृति में महिलाओं के अधिकारों का ऐतिहासिक अध्यय

शोध पेपर की सीमा

- प्रस्तुत शोध पेपर सीमा मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों में महिला अधिकारों के संदर्भ तक सीमित है।

शोध प्रविधि.

- प्रस्तुत शोध पेपर के अंतरगर्त के साथ तथ्यों के "अनवेषणात्मक विधि" विश्लेषण पर भी ध्यान दिया गया है।

ऐतिहासिक संदर्भ में कारणों का विश्लेषणतात्मक अध्ययन .

इसका एक ही जवाब हैं विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों पर पुरुष वर्ग का द्वारा कब्ज़ा करते जाना। माना जाता है की मातृसत्तात्मक समाज आज से दस से सात हज़ार ईसा पूर्व तक शिखर पर रहा। अब से नौ हज़ार वर्ष तक खेतीबाड़ी के तमाम –कामों को औरत अज़ाम देती रही है।[1]औरत बच्चो को जन्म देती थी उनका पालन पोषण करती–,खालों से लिबास बनाती थी[2] लिहाज़ा संतान और माल दोनों उसकी संपत्ति स्वीकार किए जाते थे। उसी काल में मर्द ने औरत के साथ खेती में भाग लेने लगा[3] जैसे जैसे समय और आगे बढ़ा–'पुरुष ने इस पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया और सात हज़ार ईसा पूर्व जब हल का अविष्कार हुआ तो मर्द ने खेती को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले चुका था।[4] यह अवस्था मातृसत्तात्मक- से पितृ-सत्तात्मक की ओर बढ़ने का प्रथम चरण था। अब चूँकि रोज़ी की प्राप्ति तथा उसके साधन मर्द के अधिकार में थे। जिसका परिणाम यह हुआ की औरत मर्द की मुहताज़ हो गयी औरत का इन वस्तुओं के इस्तेमाल में तो हिस्सा था। परंतु वह उनकी मालिक हर्गिज़ न थी।[5] ऐगल्स का कहना है कि 'सामाजिक उत्पादन की परिधि से बाहर कर दिये जाने के बाद बीवी घर की पहली नौकरानी बनी।[6] समाज में एक विवाह को लागू करके मर्द एक सगी और हक़ीक़ी माँ की तरह एक हक़ीक़ी बाप की हैसियत को भी मनवा लिया। यही वह समय है जब समाज में माँ के बाद पिता का अस्तित्व सामने आया।[7] मातृ-सत्तात्मक से पितृ-सत्तात्मक की ओर संक्रमण का दूसरा दौर तब शुरू हुआ जब औरत के नाम पर रखी गई देवीयों के नाम बदलकर देवताओं के नाम पर रखा जाने लगा।[8] स्त्रीकी सत्ता को समाप्त करने के लिए पुरुष नें सबसे पहले लोगों के दिलों से देवियों के दबदबेको- कम करना शुरू कर दिया। इस उदेश्य की पूर्ति के लिए देवियों की जगह पर देवताओं को ले आया गया और देवियों के समस्त गुण देवताओंसे जोड़ दिये गये पहले देवी की पुरोहित स्त्री होती थी लेकिन देवताओ के प्रभुत्व के बाद स्वाभाविक ही उनके पुरोहित पुरुष होने लगे और देवताओं के प्रतिनिधित्व एवं प्रवक्ता बन बैठे।[9] उस समय यही पुरोहित था जिसने इस हरामकारी या घृणित कृत्य को देवताओं के आदेश की पवित्र स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। इस पवित्र अनैतिकता या पाप ने आरंभिक रूप में समीर या बाबुल की इबादतगाहों पूजा–गृहों में तरक्की पायी और मानव इतिहास में वेश्या को जन्म दिया।[10] *इब्ने हनीफ़* लिखते है कि प्रेम और उत्पत्ति की देवी के मंदिर में जो आराधना होती थी नग्नता उसकी अनिवार्य हिस्सा थी[11] इसी की ओर संकेत करते हुए अली अब्बास ज़लालपुरी लिखते हैं कि उस युग – की कौमों मेंस्त्रियों जो देवियों के मंदिर में देहव्यापार करती थी-, निहायत सम्मानीय बल्कि पवित्र मानी जाती थी। इस आधार पर वर्तमान काल के शोध कर्ताओं ने स्थापना दी कि देहव्यापार का प्रचलन प्राचीन धर्मो के दामन से हुआ -।[12] बीसवी सदी के दार्शनिक और लेखक *बट्रेंन्ड़ रसेल* ने लिखा है कि इस पेशे " का आरंभ आराधना गृहों से हुआ था।[13] अज्ञात कालों में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की स्त्री अपने समाज में क्या स्थान रखती थी इसका एक विस्तृत अध्ययन अब से तकरीबन पचास साल पहले *अल्लामा नियाज़ फ़तहपुरी*" ने अपनी पुस्तक *'गहवारातमद्दुन– ए-* में प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार चीन में प्राचीन काल – की स्त्री को जो सम्मान प्राप्त थाउसका अनुमान इससे[14] लग सकता है कि चीनी भाषा के एक विश्व कोष में अध्यायों में केवल यह 1376 अध्यायों में से 1627 बताया गया है कि प्राचीनकाल की औरत कितनी विशेषताओं से सम्पन्न थी उसका साहित्यिक ज्ञान कितना विपुल था। अलास्का में युद्ध के मामले में स्त्रियों का निर्णय अंतिम होता था। कोई भी संचालन तब तक पूर्ण नहीं होता था जब तक पुरुष की तुलना में चार गुना महिलाए उसमें न हों।[15] लेकिन कृषि के जरिये जैसेवै-जैसे पूजी बढ़ती गयी वैसे-से एक ओर यदि इस कारण परिवार के अंदर पुरुष की शक्ति में वृद्धि हुई और उसका महत्व और रुतबा उच्च होता गया।[16] प्रसिद्ध इतिहासकर *विल देवरा* पुरुष के इस कृत्य को स्त्री की यौन –अधीनता का दुसरा दौर कहते है अत वह लिखते है धीरे धीरे पुरुष नें अपना अधिकार मनवा लिया और जायदाद मर्द के जरीये स्थांतरित होने लगी[17] पुरुष विवाह को यौन संबद्धों का इज़ाजतनमा के रूप में नहीं बल्कि आर्थिक सहयोग के रूप में देखता था। वह औरत से नेकी और हुस्न की आशा नहीं बल्कि लाभ के लिए कठिन परिश्रम की उपेक्षा रखता था।[18] फिर भी युनानी कानून नें पत्नी को दहेज़ पाने का अधिकार दिया लेकिन यह उस समाज की ओर से दी जाने वाली बहुत मामूली सुरक्षा थी।[19] फात्मा मरनीसी नें एतिहासिक साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकाला की इस्लाम ने उन तमाम कार्य पर पाबंदी लगा दी जिनमे औरत की आत्म निर्णय के अधिकार की अभिव्यक्ति होती थी[20] इसी तरह से प्रोस्टेंट सम्प्रदाय की स्त्री के लिए उसका पति पृथ्वी पर उसका ईश्वर था जिसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था।[21]में वह सुप्रीम कोर्ट के जज का यह रिमार्क सामने 1872 आता है कि औरत चुकि प्राकृतिक रूप से नाज़ुक व कमज़ोर दिल है इसलिए उसे शहरीज़िंदगी के सभी क्षेत्रों में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जा सकती है[22] पुजीवाद नें जिस पारिवारिक व्यवस्था कों पैदा किया है उसमें पत्नी सदा के लिए पति की गुलामी में चली जाती है। दूसरे शब्दो में कहा जा सकता है कि पत्नी बनकर स्त्री अपनी देह एक ही बार ही सही हमेशा के लिए बेच देती है।[23] इन सभी आधारों और तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है की पहले समाज नारी प्रधान ही रहा है बाद में यह एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया से गुज़रने के बाद ही पुरुष प्रधान

[1]हिना , ज़ाहिदा,2010 , पाकिस्तानी स्त्री यातना और संघर्ष :, 8
[2] वही,8
[3] वही,, 8
[4]वही. 18
[5]वही.19
[6]ऐगल्., परिवार राज्य और निज़ी संपत्ति पृ. 1
[7]हिना, ज़ाहिदा 2010 :, पाकिस्तानी स्त्री यातना और संघर्ष :, पृ २०
[8]वही.21
[9]वही.25
[10]वही.25
[11]वही.26
[12]वही.26
[13]वही.26
[14]वही.29
[15]वही.30
[16]वही.31
[17]वही.31
[18]वही.32
[19]वही.33
[20]वही.36
[21]वही.37
[22]वही.44
[23]वही.44

बना है। इस तरह समझा जा सकता है की यदि आर्थिक संसाधनों पर स्त्रियों के अधिकार को फिर से वापस लाया जाये तों शायद हों सकता हैं की स्त्रियों की सम्मानजनक जो पहले थी वह प्राप्त हों सके।

महिला सशक्तीकरण के व्यावहारिक उपाय – के विभिन्न पहलू

- इसके लिये सबसे पहले जरूरी हैं की स्त्री में आत्मविश्वास,आत्मसम्मान और आत्मशक्ति को विकसित करने हेतु उसे पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर तिरस्कृत करने के बजाय प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता हैं।
- महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति क़ानूनी जागरूकता उत्तपन्न करने हेतु स्कूल स्तर से ही क़ानूनी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिये।
- किसी के भी जीवन में जागरूकता लाने के लिये ज़्यादा पैसा ख़र्च करने की जरूरत नहीं हैं बल्कि जों पुराने संचार के माध्यम समाप्त हों गये हैं पुनः जीवित करने की जरूरत हैं। जैसे कि नुक्कड़ और नाटक के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जा सकता हैं। स्वांग भी एक तरह का प्रचार का माध्यम बन सकता हैं जों हरयाणा के लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग हैं। यह एक रामलीला कि तरह है जिसमें एक खुला मंच होता है और कुछ कलाकार विभिन्न नाटकों कों प्रदर्शित करते है।
- राजनीति स्तर पर महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए जों महिलाएँ) ग्रामीण या कस्बों में अकेले जीवन बिताती हैसरकार के द्वारा (लड़ने के लिए वित्तीय मदद (रुचि के आधार पर) महिलाओं को चुनाव देनी चाहिएँ।
- युवा वर्ग को दहेज़ प्रथा विवाह पर ज्यादा व्यय और बहुविवाह जैसी दमनकारी प्रथाओं का दृढ़तापूर्वक विरोध करना चाहिये।
- स्त्रियों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के बजाय पुरुषों को एक सहयोगी के रूप में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें महिलाएँ स्वय अपनी क्षमताओं के बल पर अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें।
- स्त्रियों को देवी के सम्मान के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य के रूप में उनके अस्तित्व को स्वीकार किया जाना चाहिए।
- शिक्षा संस्थाओं में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने के लिये महिलाओं की एक टीम तैयार की जानी चाहिए। यह टीम कई भागों में बटी होगी जों बीए स्तर, एमए स्तर और शोध स्तर पर होनें वाली . लैगिक शोषण के मामले की जाँच करेगी।
- विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या काफी कम हैं सिर्फ शिक्षण संस्थाओं के निर्माण से इस समस्या का समाधान नहीं होनें वाला है और न ही महिला विश्वविद्यालय खोलने से विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ोत्तरी होगी। इसका समाधान सिर्फ एक ही हैं विज्ञान से संबंधित विषयों के प्रति लड़कीयों के अंदर रुचि का निर्माण करना। यह रुचि तभी उत्तपन्न होगी जब परिवार का सहयोग प्राप्त होगा।
- लड़के और लड़की के बीच जों काम का बटवारा जों बचपन में ही तय कर दिया जाता हैं अर्थात यह कार्य लड़कों का हैं और यह कार्य लड़कियों का हैं जैसी मानसिकता कों समाप्त करना होगा।

निष्कर्ष

अंत में यह भी कहा जा सकता हैं की यदि महिला हीं महिला का शोषण न करें तो शायद महिलाओं की स्थिति में सुधारा हो सकता है हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं की जब एक लड़की की शादी अन्य परिवार में होती है हैं तो अक्सर यह सुनने में आता हैं की सासबहू में लड़ाई-,बड़ी लड़की नें बहू को मारा,जेठानी का अलग रुतबा और तो और अपने को एक ताकतवर महिला या घर की सबसे बड़ी होने के घमंड में अपनी ही बहू पर अत्याचार करना जग जाहिर हैं। यदि इस नकली रिश्तों के दीवार से बाहर निकला जा सकते तो एक दिन मुमकिन हैं की महिलाओं का सशक्तीकरण जरूरु होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची.

1. डॉ. *जोश,* गोपा (**2006).** *भारत में स्त्री असमानता एक विमर्श.* हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय : दिल्ली विश्वविद्यालय .
2. *शर्मा,* कुमुद (**2011**). *आधी दुनिया का सच (स्त्री विमर्श).* सामयिक प्रकाशन : नई दिल्ली.
3. *अभिज्ञान,* रंजीत और *दत्त,* योगेंद्र (**2010**). *जेंडर और शिक्षा रीडर -भाग – I-* निरंतर : नई दिल्ली.
4. *शर्मा,* विश्वामित्र (**2004**). *औरतें पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान.* वाणी प्रकाशन : नई दिल्ली.
5. *प्रोंप्रसाद .,* कमला और *शर्मा,* राजेंद्र (**2004**). *स्त्री :मुक्ति का सपना.* वाणी प्रकाशन : नई दिल्ली.
6. *डॉजैन .,* दीपा (**2007).** *महिला सुरक्षा और महिला पुलिस.* राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी : जयपुर.
7. *नसरीम,* तसलीमा (**2002).** *छोटेछोटे दुख-.* वाणी प्रकाशन : नई दिल्ली.
8. *डॉमीना .,* जनक सिंह (**2015**). *भारत में मानवाधिकार और महिलाएँ.* राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी : जयपुर.
9. *हीना,* ज़ाहिदा अनु).शकील (, सिद्दीकी (**2010).** *पाकिस्तानी स्त्री यातना : औरसंघर्ष.* वाणी प्रकाशन : दिल्ली.
10. *आर्य,* साधना, *मेनन,* निवेदिता, *लोकनीता,* जीनी (**2001).***नारीवादी राजनीति :संघर्ष एवं मुद्दे.* हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय : दिल्ली विश्वविद्यालय.
11. *दुर्रानी,* तहमीना अनु). (*माइकल,* मोज़ेज़ (**2002).** *मेरे आक़ा उपन्यास :.* वाणी प्रकाशन : नई दिल्ली.